कार्यालय परिपत्र सं0-1516011 दि0 19-05-2015
पत्र सं0-विधि 1(3)/ईट भट्ठा समाधान योजना (2015-2016) / 285 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ:: दिनांक :15 मई, 2015

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

शासन तथा मुख्यालय पर इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सीजन के प्रारम्भ से ही लगातार भारी वर्षा से ईट भट्ठों में उत्पादन का कार्य प्रभावित होने के कारण, विलम्ब से समाधान राशि जमा करने पर अर्थदण्ड आरोपित न करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि किसी भट्ठा इकाई द्वारा समाधान राशि ब्याज के साथ जमा कर दी जाती है एवं विलम्ब का समुचित कारण दिया जाता है तो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया जाए।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में प्रेषित है।

S. Tripathi
(साधना त्रिपाठी)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।